



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 280]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2001/ज्यैष्ठ 10, 1923

No. 280]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2001/JYAISTHA 10, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2001

सं. 28/2001—गै. टै.-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 405(अ).—केन्द्रीय सरकार, धारा 9ए की उप-धारा (6) तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रति-पाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रति-पाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2001 कहा जाए।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रति-पाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 में—

(i) पैराग्राफ 7 में, "उचित ङंग से पदनामित प्राधिकारी" शब्दों के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्रुत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए"।

(ii) पैराग्राफ 7 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"8. पद "बाजार भिन्न अर्थव्यवस्था देश" का आशय किसी ऐसे विदेशी देश से है (देखिए पाद टिप्पणी) जिसे पदनामित प्राधिकारी निर्धारित करता है और जो लागत अथवा मूल्य ढांचे के बाजार सिद्धांतों के आधार पर संचालन नहीं करता है, ताकि ऐसे देश में माल की बिक्री से माल के उचित मूल्य का पता न लग सके। ऐसा निर्धारण करते समय, पदनामित प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या,—

- (i) मूल्यों, लागतों और निविष्टियों तथा कच्ची सामग्रियों, तकनीकी और श्रमिक लागत, उत्पादन, बिक्रियों और निवेश के संबंध में ऐसे देश में संबंधित फर्मों के निर्णय, पूर्ति और मांग की स्थिति दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में राज्य के विशेष दखल के बिना और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें काफी हद तक बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं या नहीं, को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं;
- (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में पूर्ववर्ती बाजार—भिन्न अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न भारी विकृतियों, विशेष रूप से संपत्तियों के मूल्य ह्रास अन्य बड़े खाते में डाली गई रकमें, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के जरिए भुगतान से उत्पन्न विकृतियां आ जाती हैं।
- (iii) ऐसी फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अंतर्गत आती हैं जो फर्मों के परिचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता को गारंटी देते हैं, और
- (iv) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं :

परन्तु यह कि रूस और चीन जनवादी गणराज्य में परिवर्तनशील आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट तथ्यों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिखाया जाता हो कि ऐसी एक अथवा उससे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि उनकी प्रति-पाटन संबंधी जांच की जाती है, तो पदनामित प्राधिकारी इस पैराग्राफ में वर्णित नियमों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में वर्णित नियमों को लागू कर सकता है।

टिप्पणी : इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में अल्बानिया, आर्मेनिया, बेलारूस, चीन जनवादी गणराज्य, ज्योर्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, मालडोवा, मंगोलिया, रूसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उजबेकिस्तान और वियतनाम सहित देश हैं। इनमें से कोई भी देश जो यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि इस पैराग्राफ में निरूपित मानदण्ड के अनुसार यह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वह ऐसी सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिसे पदनामित प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।"

[फा. सं. 525/2/94-सी. शु. (टी. यू.) खण्ड]
राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी—मूल नियम भारत के असधारण राजपत्र में सा. का. नि. 1 (अ) दिनांक 1-1-95 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार सा. का. नि. 521 (अ) दिनांक 15-7-99 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2001

No. 28/2001-NT-CUSTOMS

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9A and sub-section (2) of Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :—

1. (i) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Annexure I to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,—

(i) in paragraph 7, after the words "designated authority in a reasonable manner", the following shall be inserted, namely :—

"keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question";

(ii) after paragraph 7, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"8. The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in that note and includes any country which the designated authority determines and which does

do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the designated authority shall consider as to whether,—

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values ;
- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate :

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

Note : For the purposes of this paragraph, the list of non-market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakstan, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the designated authority”.

[F. No. 525/2/94-Cus. (TU) Pt.]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 1(E), dated 1-1-95 and was last amended vide G.S.R. 521(E), dated 15-7-1999.

